न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 40 / 2024

निर्णय दिनांक : 28.03.2024

1. बाबूलाल मीना पुत्र श्री मंगेजाराम मीणा आयु साल निवासी प्लॉट नंबर 20 / 139, कावेरी पथ, मानसरोवर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. भंवर लाल मीना पुत्र श्री मंगेजाराम मीणा आयु साल निवासी प्लॉट नंबर 20 / 139, कावेरी पथ, मानसरोवर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. मंजूदेवी पुत्री श्री मंगेजाराम मीणा आयु साल निवासी प्लॉट नंबर 20 / 139, कावेरी पथ, मानसरोवर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किरण देवी पत्नी सूर्यप्रकाश निवासी ग्राम बाढ–करौल, टोडी रमालीपुरा, तहसील सांगानेर, जगततुरा, जयपुर।
2. सरिता यादव पत्नी लीलाराम यादव निवासी प्लॉट नंबर 47, हरिनगर, सी.बी.आई. कोलोनी के पास, सांगानेर, जगतपुरा, जयपुर।
3. मुरारी लाल मीना पुत्र शंकरलाल मीना निवासी आदर्श नगर, कॉलेज रोड़, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर।
4. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम टोड़ी रमजानीपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है जिसका नया खाता संख्या 52 के हाल खसरा नंबर 429 / 237 रकबा 0.16 हैक्ट, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है। तथा [illegible] अपनी उपरोक्त शामलाती खातेदारी भूमि में बतौर खातेदार [illegible] करते चले आ रहे है। प्रार्थी बाबूलाल के [illegible] का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार सांगानेर, जयपुर के समक्ष आवेदन प्र[illegible] किया था। जिस पर प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:39:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। श्रीमान के कलक्टर (भू.अ.) जयपुर के पत्रांक 452 दिनांक 10.1. 2024 की अनुसार एवं श्रीमान भू–प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश कमांक 316–321 दिनांक 20.2.2024 की पालना में पटवारी हल्का मय राजस्व रिकॉर्ड एवं आवेदक मौके पर उपस्थित मिले। तथा मौके पर उक्त खसरा नंबर 429/237 रकबा 0.16 हैक्टयर का डी.जी.पी.एस मशीन से चिन्हीकरण कार्य किया गया। उक्त खातेदारी भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहता है। पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्ज होतो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थीगण के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के आस–पास के लोग प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की मेड़ (सींव) को तोड़कर अन्दर अतिक्रमण करना चाहते है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में मिलाकर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी स्वयं की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा के आधार पर सीमाकंन के आधार पर पत्थर गढ़ी करना चाहता है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाकंन के आधार पर पत्थरगढ़ी नहीं की गई तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आस पास के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अतिक्रमण कर लेगे जिससे प्रार्थीगण को अन्य मुकदमेबाजी करनी होगी। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की सीमाकंन के आधार पर पत्थरगढी करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाकंन के आधार पर पत्थरगढी नही किया गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि कम होगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। इसप्रकार न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवयश्यक है। वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाली है। ओर कोई भी फसल की बुवाई नही कर रखी है। इस प्रकार खातेदार पत्थरगढी करवाने से फसल का कोई नुकसान भी नही होगा। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सीमा ज्ञान करने का श्रीमान न्यायालय को अन्तर्गत धारा 111/128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत [illegible] कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम [illegible] जगतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, [illegible] में स्थित है जिसका नया खाता संख्या 52 के हाल खसरा नंबर 429/237 [illegible]बा 0.16 हैक्ट, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Sin
Date: 2024.04.16 12:39:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा के आधार पर पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम टोड़ी रमजानीपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है जिसका नया खाता संख्या 52 के हाल खसरा नंबर 429/237 रकबा 0. 16 हैक्ट, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा के आधार पर पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कियदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की वाके ग्राम टोड़ी रमजानीपुरा, पटवार हल्का जगतपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित शामलाती खातेदारी भूमि जिसका नया खाता संख्या 52 के हाल खसरा नंबर 429/237 रकबा 0. 16 हैक्ट, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. की प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। यदि सम्पत्ति से संबंधित कोई प्रकरण अन्य दिगर न्यायालय में स्थगन आदेश एवं प्रकरण विचाराधीन हो तो सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने से पूर्व इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:39:07 IST
Reason: Self Attested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर